



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-06042023-244974
CG-MH-E-06042023-244974

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1528]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 3, 2023/चैत्र 13, 1945

No. 1528]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 3, 2023/CHAITRA 13, 1945

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे]

(निर्माण संगठन)

अधिसूचना

मुम्बई, 3 अप्रैल, 2023

का.आ. 1606(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य के जिला महेसाणा में कलोल कडी कटोसन रोड आमान परिवर्तन परियोजना (37.23 कि.मी.) नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि के लिये इच्छक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, प्रांत अधिकारी, कडी, जिला महेसाणा को लिखित रूप में किया जाएगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रेक्टिशनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई और जांच करने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों के लिये अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य व्यौरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

विषय: गुजरात राज्य के महेसाणा जिले में कलोल कड़ी कटोसन रोड आमान परिवर्तन परियोजना (37.23 कि.मी.) नाम की विशेष रेल परियोजना के लिये अधिग्रहण की जानेवाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम: महेसाणा

क्रम संख्या	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
	कड़ी	देउसना		
1	कड़ी	देउसना	51	12.00
2	कड़ी	देउसना	52	96.00
3	कड़ी	देउसना	100	333.00
4	कड़ी	देउसना	101	175.00
5	कड़ी	देउसना	102	469.00
6	कड़ी	देउसना	103	194.00
7	कड़ी	देउसना	104	573.00
8	कड़ी	देउसना	105	653.00
9	कड़ी	देउसना	106	2.00
10	कड़ी	देउसना	107	345.00
कुल:				2852.00
	कड़ी	कड़ी कस्बा		
1	कड़ी	कड़ी कस्बा	48	273.00
2	कड़ी	कड़ी कस्बा	49	485.00
3	कड़ी	कड़ी कस्बा	425	896.00
4	कड़ी	कड़ी कस्बा	1883	1926.00
कुल:				3580.00

[फा. सं. ई आफिस-391786-1]

नंद राम, मुख्य अभियंता (निर्माण)-II

MINISTRY OF RAILWAYS
(Western Railway)
(CONSTRUCTION ORGANIZATION)

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd April, 2023

S.O. 1606(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989(24 of 1989) (hereinafter referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for

execution of the Special Railway Project, namely, Kalol Kadi Katosan Road (37.23 km) Gauge Conversion Project in District Mehsana in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for a foresaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Prant Officer- Kadi, District Mahesana, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections. Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

**Sub: Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project
namely: Kalol Kadi Katosan Road (37.23 km) Gauge Conversion Project in Mehsana District
of the state of Gujarat**

Name of District: Mahesana

Sr. No.	Name of Taluka	Village Name	Survey No.	Area of Land to be acquired (in Sqm.)
	Kadi	Deusana		
1	Kadi	Deusana	51	12.00
2	Kadi	Deusana	52	96.00
3	Kadi	Deusana	100	333.00
4	Kadi	Deusana	101	175.00
5	Kadi	Deusana	102	469.00
6	Kadi	Deusana	103	194.00
7	Kadi	Deusana	104	573.00
8	Kadi	Deusana	105	653.00
9	Kadi	Deusana	106	2.00
10	Kadi	Deusana	107	345.00
TOTAL				2852.00
	Kadi	Kadi Kasba		
1	Kadi	Kadi Kasba	48	273.00
2	Kadi	Kadi Kasba	49	485.00
3	Kadi	Kadi Kasba	425	896.00
4	Kadi	Kadi Kasba	1883	1926.00
TOTAL				3580

[F. No. E Office E- 391786-1]

NAND RAM, Chief Engineer (Construction)–II